-: 2 :- 04AA 002115 /14

(4) मूल्य :-विक्रय मूल्य मो० ग्यारह लाख बाइस हजार रुपये अंके 11,22,000/- रुपये जिसका आधा मोवलिग पांच लाख एकसठ हजार रुपये अंके 5,61,000/- रुपये होता है ।

(5) सम्पति :- एराजियात 0.39 एकड़ (उनचालीस डिसमिल) जमीन हकियत रैयती मय दखाली खातियानी वाके मौजा गोतरा थाना नं० 80 थाना सिमडेगा सदर रजिष्ट्री ऑफिस वो जिला सिमडेगा के अन्दर खाता नं० 62 (बासठ) प्लाट नं० 4893 (अड़तालीस सौ तिरानब्बे) में से रकबा 0.39 एकड़ (उनचालीस डिसमिल) जमीन जिसकी चौहद्दी :-

उत्तर :- टांड़ प्लाट नं० 4891,

दक्षिण :- टांड़ प्लाट नं० 4896 मकान सुरेश प्रसाद,

पूरब :- टांड़ इसी प्लाट का अंश दूसरा हिस्सा,

पश्चिम :- टांड़ इसी प्लाट का अंश दूसरा हिस्सा ।

कुल एक खाता का एक प्लाट का टुकड़ा रकबा 0.39 एकड़ (उनचालीस डिसमिल) जमीन सिर्फ जिसका मालगुजारी सालाने 10 पैसे अलावे शेश वर्णित विक्रीत जमीन आवासीय है जिस पर किसी प्रकार का झगड़ा झंझट या भार नहीं है ।

(1) चूंकि इस समय मुझे मकान बनाने के वास्ते रुपये की अति आवश्यकता है इसलिए मैंने वर्णित जमीन का कुल मूल्य मो० 11,22,000/- रुपये नगद भुगतान पाकर उपर्युक्त लेख्यधारी श्रीमती आशा नीलम कुल्लू के पास रैयती बेचा और अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्व स्थ्यता में रह कर यह विक्रय-पत्र केवाला दस्तावेज

कृपा सही: अल्बिस कुल्लू [illegible] ता. 8/7/2014

गवाह पुनीत कुल्लू पिता श्री [illegible] कुल्लू ग्राम [illegible] थाना [illegible] जिला सिमडेगा ता० 8-7-14

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हज़ार रुपये — RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

04AA 002116/14

लिखा दिया कि प्रमाण रहे ।

{2} चूंकि हम दोनों पक्ष लेख्यकारी वो लेख्यधारी आदिवासी समुदाय के रैयत हैं अतः जमीन बिक्री के पूर्व आवश्यक परमीशन के वास्ते सी. एन. टी. एक्ट अन्दर दफा 46 का मुकदमा वाद संख्या 433/ 2012-13 श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में किया जिसकी स्वीकृति आदेश दिनांक 15-07-13 को मिली और मेमो नं0 851{1}1{ रेव. दिनांक 15-07-2013 के अनुसार मुझे तथा जिला सब रजिष्ट्रार, सिमडेगा प्रतिलिपि भेजी गई ।

{3} मैं, प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्णित विक्रीत जमीन मेरी पुश्तैनी खातियानी है जो मेरे दादा जोहन खाड़िया के नाम नाप दर्ज है । वर्णित जमीन उनके हिस्से की थी। दादा और पिता के मृत्योपरान्त वर्णित जमीन मुझे उत्तराधिकारी के तौर पर हासिल हुआ जिस पर मेरा निर्विवाद दखाल वो कब्जा है । जमीन पर किसी प्रकार का झगड़ा झंझट या भार नहीं है । अब से उस पर सारा हक वो दखाल कब्जा लेख्यधारिणी को सौंप दिया अब से उक्त जमीन पर मेरा किसी प्रकार का दखाल कब्जा हक वो अधिकार नहीं रहा न रहेगा और न भविष्य में मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का ।

ता: 8/५/2014

467 457

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000 दस हजार रुपये

10000 रु. Rs.10000 RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

10000 रु. Rs.10000

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

04AA 002114 /14

... भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची ... 23 I-A with the permission by L.R.D.C. Simdega vide case No. 433/2012-13 order dt. 15.7.13

08.7.14

§1§ लेख्यकारी :- श्री अलविस कुल्लू पिता स्व0 सिलबानुस कुल्लू जाति खाड़िया पेशा खेती बारी निवास गांव गोतरा ठाकुर टोली थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा --------- विक्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या ---- 288 ---------/2014

§2§ लेख्यधारी :- श्रीमती आशा नीलम कुल्लू पति श्री राजेश टेटे जाति खाड़िया पेशा खेती बारी निवास गांव गोतरा ठाकुर टोली थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा - भारतीय नागरिक -- क्रेतिका ।
पैन कार्ड नं0 सीयूजीपीके 2330 एफ.

शपथ-पत्र संख्या --------- 289 ----/ 2014

§3§ लेख्य प्रकार :- विक्रय-पत्र केवाला बैला कलामी पुत्र-पुत्रादिक हमेशा के लिए ।

पहचान ... 08/7/2014

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs 10000 दस हज़ार रुपये

10000 रु. Rs 10000 RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

10000 रु. Rs.10000

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

04AA 002117/14

(4) चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी खारीदगी जमीन पर काबिज वो दखालकार होकर वो रह कर मकान सहन, कुआं बारी आदि बनावें वो जैसा मन चाहे अपने सुविधानुसार उपयोग में लावें वजरिये झारखण्ड सरकार के जमींदारी सिरिस्ते अंचल कार्यालय, सिमडेगा से तारीखा लेख्य से दाखिल खारीज करा कर मालगुजारी की रसीद खास नाम से हासिल करें ।

टेपासही: अलबिस कुल्लू व.क. सुन्दर नाग ता: 8/7/2014

मैं, लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि वर्णित जमीन भू-हदबन्दी, खास महाल, भूदान, सैरात, कैसर-ए-हिन्द या लीज से संबंधित नहीं है ।

टेपासही:

सही - अलबिस कुल्लू
व.क. सुन्दर नाग
ता: 8/7/2014

प्रमाणित किया जाता है कि अलबिस कुल्लू का बायां हाथ का पांचो अंगुलियों का छाप मेरे सामने लिया गया है।

[signature]
अधिवक्ता
8/7/14

मैं, लेख्यधारी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व धारित वो खारीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग सीमा के अन्तर्गत नहीं आता है ।

सही - Asha Nilam Kullu
8.7.2014

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs.5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

-: 5 :-

प्रमाणित किया जाता है कि आशा नीलम कुल्लू की बाएँ हाथ की पांचो अंगुलियों की छाप मेरे सामने ली गई है।

रामेश्वर साहु

अधिवक्ता 8/7/14

8/7/2014

लेख्यकारी के कहे अनुसार इस विक्रय-पत्र केवाला दस्तावेज का प्रारूप तैयार कर दोनों पक्षों को उनके गवाहों के सामने पढ़ कर सुना वो समझा दिया जिसे स्वीकार किये।

सही - Rakesh Sahu

प्रारूप कर्त्ता,

Adv.

तारीख - 8/7/14

प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के कुल 5 पृष्टों में कुल 574 शब्द टंकित हैं जो खण्डन रहित वो नक्शा सहित है।

टंकक -

ह0/- नारायण दास

8/7/14

{ नारायण दास }

कचहरी परिसर, सिमडेगा।